

[2023] 1 एस. सी. आर. 527

क.

आई. एफ. बी. एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम

2019 की एस. आई. सी. जी. आई. एल. इंडिया लिमिटेड और अन्य सिविल अपील संख्या 2030

04 जनवरी, 2023

[ए. एस. बोपन्ना और

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे. जे.]

कंपनी अधिनियम, 2013: धारा 59-सदस्यों के रजिस्टर में सुधार-राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण-एन. सी. एल. टी. की सुधारात्मक अधिकारिता का दायरा-तथ्यों के आधार पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने खुले बाजार से अपने कुल शेयरों के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर अर्जित किए और एस. ए. एस. टी. विनियमों और विनियमन के Reg.7 (1) के अनुसार प्रकटीकरण करने में विफल रहा। पी. आई. टी. विनियमों के 13-अपीलार्थी ने 1956 के अधिनियम (अब 2013 के अधिनियम की धारा 59) की धारा 111 ए के तहत एन. सी. एल. टी. के समक्ष याचिका दायर की, जिसमें 5 प्रतिशत से अधिक शेयरों के मालिकों के रूप में प्रतिवादियों के नाम को हटाकर सदस्यों के पंजीकरण में सुधार करने की अनुमति दी गई-एन. सी. एल. टी. ने यह मानते हुए अनुमति दी कि 5 प्रतिशत से अधिक शेयरों का अधिग्रहण एस. ई. बी. आई. (पी. आई. टी.) विनियमों और एस. ई. बी. आई. (एस. ए. टी.) विनियमों का उल्लंघन था और अपीलार्थी को अपने उन शेयरों को वापस खरीदने का निर्देश दिया जो प्रत्यर्थी द्वारा रखे गए थे-हालाँकि, अपील अदालत ने इस निर्देश को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि न्यायाधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया-अपील पर कहा: अपीलार्थी सी. एल. बी. (अब एन. सी. एल. टी.) यू/एस. के अधिकार क्षेत्र को लागू करने में उचित नहीं है। 111 ए. एस. ई. बी. आई. नियमों के उल्लंघन के लिए-सुधारात्मक क्षेत्राधिकार यू/एस। 59 यह प्रकृति में संक्षिप्त है और इसका उपयोग वहां नहीं किया जा सकता है जहां विवादित तथ्य और विवादित प्रश्न हैं-यदि कोई याचिका सुधार की आड़ में निर्णय लेने की मांग करती है, तो एन. सी. एल. टी. का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, और संबंधित मंच से संपर्क करने के लिए पक्षों को फिर से निर्देशित करना उसका कर्तव्य होगा-इसके अलावा, प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने में एस. ई. बी. आई. की एक व्यापक भूमिका है-नियामक को सुधार के लिए कहकर दरकिनार नहीं किया जा सकता है-यह केवल नियामक के लिए है कि वह एस. ई. बी. आई. अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन निर्धारित करे-एन. सी. एल. टी. ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया-इस प्रकार, अपीलकर्ता एन. सी. एल. टी.-भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 1997 के आदेश को दरकिनार करने में सही था। 7(1) - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 1992-विनियमन। 13 - कंपनी अधिनियम, 1956 -एस. 111 ए.

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

527

528 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

क.

पकड़ना: **1.1** कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **59** के तहत सुधारात्मक अधिकार क्षेत्र संक्षिप्त प्रकृति का है और इसका उपयोग करने का इरादा नहीं है जहां विवादित तथ्य और विवादित प्रश्न हैं। किसी कानून के तहत बनाए गए विनियामक निकायों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लेन-देनों को अनिवार्य रूप से उनकी पूर्व जांच, जांच और निर्णय के अधीन होना चाहिए। इसलिए, यह निवेदन कि धारा **59** के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के साथ एक समानांतर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, **SEBI** अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के उल्लंघन को संबोधित करने के लिए खारिज कर दिया जाता है। **1956** के अधिनियम की धारा **155** का दायरा और दायरा, जो उस समय मौजूद था, अमोनिया आपूर्ति मामले में इस न्यायालय के एक फैसले में विचार के लिए गिर गया। अमोनिया के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सदस्यों के रजिस्टर के सुधार के लिए अदालत द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अधिकार क्षेत्र अनिवार्य रूप से सीमित है। [पैरा **1** और **19**] **[533-बी-सी, डी-ई; 542-ई-एफ]**

ग

1.2 धारा **155** की व्याख्या करते समय, अमोनिया के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सी. एल. बी. की शक्ति संकीर्ण है और केवल सुधार के प्रश्नों पर विचार कर सकती है। यदि कोई याचिका सुधार की आड़ में निर्णय की मांग करती है, तो सी. एल. बी. के पास अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, और संबंधित मंच से संपर्क करने के लिए पक्षों को फिर से निर्देशित करना कर्तव्यबद्ध होगा। 'पर्याप्त कारण' शब्दों की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है जिससे प्रावधान का दायरा बढ़े। अमोनिया में निर्णय का पालन इस न्यायालय ने धारा **155** को हटाने और धारा **111** ए को शामिल करने के बाद भी किया था। [पैरा **20** और **21**] **[544-एफ-एच]**

डी.

ई.

1.3 रजिस्टर के सुधार के संबंध में एक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से संबंधित अमोनिया के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत को अच्छी तरह से मान्यता दी गई है और लगातार इसका पालन किया जाता है। धारा **59** की उप-धारा **(3)** मतदान की सहवर्ती पात्रता के साथ प्रतिभूतियों को रखने और हस्तांतरित करने के व्यापक अधिकार को मान्यता देती है। यह एक बहुमूल्य अधिकार है और यही कारण है कि संसद ने यह सावधान करना आवश्यक पाया कि इस धारा का प्रावधान प्रतिभूतियों के धारक के ऐसी प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा। यह एक और विशेषता है जो रजिस्टर के सुधार की शक्ति के सीमित दायरे और विस्तार का संकेत देती है। इस प्रकार, कंपनी **1956** के अधिनियम की धारा **111** ए के तहत एक घोषणा के लिए याचिका दायर करती है कि प्रत्यर्थियों द्वारा शेयरों का अधिग्रहण अमान्य के रूप में गलत धारणा है। न्यायाधिकरण को अपीलार्थी को उपयुक्त मंच के समक्ष ऐसी घोषणा करने का निर्देश देना चाहिए था। इस प्रकार, अपीलीय न्यायाधिकरण ए में न्यायोचित है।

च

जी.

एच.

529

आई. एफ. बी. एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सिकगिल इंडिया लिमिटेड और अन्य ए

अपील की अनुमति देना और न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार करना। [पारस **24** और **25**] **[547-ए-डी]**

1.5 धारा **15-I** के तहत अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **SEBI** के पास जांच करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करने, संबंधित व्यक्ति को उचित अवसर देने और यह निर्धारित करने की शक्ति है कि क्या निर्धारित नियमों का कोई उल्लंघन हुआ है। बोर्ड के पास उल्लंघन के लिए दंड लगाने और पक्षों को फिर से स्थापित करने की शक्ति है। न्यायिक शक्ति में

एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा **15** जे. बी. के तहत प्रशासनिक और दीवानी कार्यवाही को निपटाने की शक्ति भी शामिल है। [पैरा **31**] [549-बी-सी]

1.6 बोर्ड के नियामक अधिकार क्षेत्र में संभावित उल्लंघन की भविष्यवाणी करने और निवारक उपाय करने की पूर्व शक्तियां भी शामिल हैं। पूर्ववर्ती अधिकारिता के प्रयोग के लिए एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा **11 (2) (आई)**, **11 (2) (आई. ए.)** और **11 (2) (आई. बी.)** में दी गई जानकारी को प्राप्त करना आवश्यक है। जहां बोर्ड के पास यह मानने का उचित आधार है कि प्रतिभूति बाजार में कोई लेन-देन हितधारकों के हितों के लिए हानिकारक तरीके से होने जा रहा है या किसी मध्यस्थ ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो वह एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा **11 (सी)** के तहत मामले की जांच कर सकता है। दूसरे शब्दों में, वास्तविक समय सुरक्षा बाजार नियामक होने के नाते, बोर्ड को उल्लंघन होने से पहले निगरानी रखने, भविष्यवाणी करने और यहां तक कि कार्रवाई करने का अधिकार है। इसी संदर्भ में, एस. ई. बी. आई. (एस. ए. एस. टी.) विनियमों और एस. ई. बी. आई. (पी. आई. टी.) विनियमों को समझना होगा। [पैरा **32**] [549-सी-एफ]

ग

डी.

ई.

1.7 एस. ई. बी. आई. (पी. आई. टी.) विनियमन अंदरूनी व्यापार से संबंधित मामलों पर लेनदेन, संचार आदि को प्रतिबंधित करता है। भले ही निषेध के उल्लंघन के बारे में कोई संदेह हो, बोर्ड के पास जांच (विनियमन **4 ए**) करने और जांच (विनियमन **5**) की आवश्यकता के बारे में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर पहुंचने की शक्ति है। उक्त विनियमों के अध्याय **III** में जांच प्रक्रिया में पूरी प्रक्रिया का पालन करने का प्रावधान है। बोर्ड ने अपनी पूर्व शक्तियों के प्रभावी प्रयोग के लिए उक्त विनियमों के अध्याय **IV** में प्रकटीकरण पर नीति प्रदान की है। विनियमन **13** के तहत, किसी कंपनी में **5** प्रतिशत से अधिक शेयर या मतदान अधिकार रखने वाला कोई भी व्यक्ति, चार कार्य दिवसों के भीतर कंपनी को शेयरों की संख्या या ऐसे व्यक्ति द्वारा रखे गए मतदान अधिकारों की सीमा का खुलासा करेगा। विनियम **13** प्रकटीकरण का निरंतर दायित्व रखता है। विनियम **14** में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसका उल्लंघन करता है

च

जी.

एच.

530 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

उक्त विनियम एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा **11, 11 बी, 11 डी, 24** और अध्याय **6-ए** के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। [पैरा **33**] [549-एफ-एच; 550-ए-बी]

1.8 नियामक व्यवस्था सर्वव्यापी है। यह निषेध निर्धारित करता है, जो मानक है। विनियमन में उल्लंघन का पता लगाने की विधि, जांच के तरीके, जांच प्राधिकरण की नियुक्ति का तरीका, वह समय सीमा जिसके भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है, एक अंदरूनी सूत्र के लिए रिपोर्ट का जवाब देने का अवसर के साथ-साथ एस. ई. बी. आई. द्वारा लिया जाने वाला अंतिम निर्णय और अंत में, परिणामी आदेश और प्रतिस्थापन निर्देश जो बोर्ड पारित करने का हकदार है, का भी प्रावधान है। प्रतिभूति बाजार पर पूर्ण और व्यापक नियंत्रण रखने के लिए एस. ई. बी. आई. के पास विनियमन **11** के तहत आंतरिक व्यापार के कार्य को सुधारने के लिए आवश्यक निर्देश पारित करने की शक्ति है। [पैरा **34**] [550-सी-ई]

ग

1.9 आंतरिक व्यापार के संबंध में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने में एस. ई. बी. आई. की व्यापक भूमिका पर विचार करने के बाद, नियामक की महत्वपूर्ण भूमिका को **1956** के अधिनियम की धारा **111** ए के तहत केवल सुधार के लिए कहकर दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इस तरह का दृष्टिकोण अस्वीकार्य है। कथित रूप से एस. ई. बी. आई. (पी. आई. टी.) विनियमों का उल्लंघन करने वाले लेनदेन की जांच और जांच को उसमें प्रदान किए गए विनियमों और उपचारों के माध्यम से संसाधित किया जाना चाहिए। [पैरा **35**] [550-ई. एफ.] **1.10** जब संवैधानिक न्यायालयों से इन नियामक निकायों की शक्तियों और अधिकारिताओं के प्रयोग को प्रभावित करने वाले प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसे न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि नियामकों के प्रांत के भीतर आने वाले लेनदेन अनिवार्य रूप से उनकी जांच और विनियमन के अधीन हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं की रक्षा करने के कर्तव्य के साथ जिम्मेदार नियामक निकाय का इस क्षेत्र पर वास्तविक समय नियंत्रण है, इस प्रकार, उनके संविधान के उद्देश्य को साकार करता है। [पैरा **36**] [550-जी-एच]

डी.

ई.

च

1.11 SEBI (SAST) विनियमों के संबंध में स्थिति **SEBI (PIT)** विनियमों के समान है। अध्याय **III** का विनियम **7** किसी कंपनी में **5** प्रतिशत से अधिक शेयरों के अधिग्रहणकर्ता को कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज को इसका खुलासा करने के लिए बाध्य करता है। यह निषेध है, और गैर-प्रकटीकरण दंडात्मक है। अध्याय **5** बोर्ड द्वारा जांच और कार्रवाई से संबंधित है, जिसमें एक जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए बोर्ड की शक्ति (विनियमन **38**), कारण-ए जारी करना शामिल है।

जी.

एच.

531

आई. एफ. बी. एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सिकगिल इंडिया लिमिटेड और अन्य ए

अधिग्रहणकर्ता को नोटिस (विनियमन **39**), जल्द से जल्द एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जांच प्राधिकरण का दायित्व (विनियमन **41**), अधिग्रहणकर्ता को रिपोर्ट प्रदान करने और दंडात्मक आदेश पारित करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देने का कर्तव्य (विनियमन **42**) और अंत में, बोर्ड की शक्तियां अध्याय **VI-A** और **SEBI** अधिनियम (विनियमन **44**) की धारा **24** के तहत कार्रवाई/निर्देश पारित करने के लिए। विनियम **45** में उक्त विनियमों का पालन न करने के लिए दंड का प्रावधान है। देयता विनियमों और एस. ई. बी. आई. अधिनियम के संदर्भ में होगी। एस. ई. बी. आई. (एस. ए. एस. टी.) विनियमन एक व्यापक योजना है जो जांच, जांच, जांच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने, अधिग्रहणकर्ता के पक्ष में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और अंत में, बोर्ड द्वारा पारित किए जाने वाले प्रतिस्थापन आदेश/निर्देशों के लिए प्रदान करती है। इस पूरी प्रक्रिया को **1956** के अधिनियम की धारा **111** ए के तहत इस आधार पर आवेदन करके शॉर्ट-सर्किट नहीं किया जा सकता है कि एस. ई. बी. आई. और सी. एल. बी./ट्रिब्यूनल के साथ समानांतर अधिकार क्षेत्र मौजूद है। शिकायत किए गए लेन-देन की नियामक द्वारा जांच की जानी चाहिए, और यह केवल नियामक के लिए है कि वह एस. ई. बी. आई. अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन का निर्धारण करे। [पैरा **37**] [551-ए-ई]

ग

डी.

1.12 इस मामले पर अलग-अलग दृष्टिकोण से विचार करने के बाद, अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा **111** ए के तहत सी. एल. बी. के अधिकार क्षेत्र को एस. ई. बी. आई. नियमों के उल्लंघन के लिए लागू करना उचित नहीं है। न्यायाधिकरण ने **1956** के अधिनियम की धारा **111** ए के तहत दायर कंपनी की याचिका पर विचार करने और उसे स्वीकार करने में त्रुटि की। यद्यपि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा विवादित आदेश में अपनाए गए तर्क से सहमति नहीं है, इस निष्कर्ष को स्वीकार

किया जाता है कि न्यायाधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है और इसलिए, अपीलीय न्यायाधिकरण ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को रद्द करने में सही था।[पैरा 38] [551-एफ-एच]

ई.

च

अमोनिया आपूर्ति निगम (पी) लिमिटेड बनाममॉडर्न प्लास्टिक कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। (1998) 7 एससीसी 105

:**[1998] 1 पूरक।एससीआर 413-**पर निर्भर।

मन्नालाल खेतान और अन्य बनामकेदार नाथ खेतान और अन्य।

जी.

(1977) 2 एससीसी 424:[1977] 2 एस. सी. आर. 190; अध्यक्ष, एस. ई. बी. आई

बनाम श्रीराम म्यूचुअल फंड एंड अदर **(2006) 5 एस. सी. सी. 361**

:**[2006] 2 पूरक।एस. सी. आर. 833; स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक**

v. आंध्र बैंक वित्तीय सेवा लिमिटेड और अन्य। (2006)

6 एससीसी 94:[2006] 2 पूरक।एस. सी. आर. 1; जय महल होटल

(पी) लिमिटेड बनामदेवराज सिंह और अन्य। (2016) 1 एससीसी 423:[2015] 11 एस. सी. आर. 323; केशा अप्लायंसेज (पी) लिमिटेड और अन्य।

एच.

532 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

v. रॉयल होल्डिंग्स सर्विसेज लिमिटेड और अन्य। (2006) 1 बॉम सी. आर. 545; ज़ांडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम.देवकुमारवैद्य और अन्य। (2009) 89 सीएलए 65; बी. एस. ई. ब्रोकर्स फोरम, बॉम्बे और अन्य बनामभारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और अन्य (2001) 3 एस. सी. सी. 482; सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम

एस. ई. बी. आई. और ए. एन. आर. (2013) 1 एस. सी. सी. 1:[2012] 12 एससीआर 1;

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड बनाम किशोर आर.

अजमेर, (2016) 6 एस. सी. सी. 368:[2016] 1 एससीआर 1118;

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड बनाम अजय अग्रवाल,

(2010) 3 एससीसी 765:[2010] 3 एस. सी. आर. 70; प्रकाश गुप्ता

v. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, (2021) एससीसी

ग

ऑनलाइन एससी 485-संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

[1998] 1 पूरक।एस. सी. आर. 413 पर निर्भर

पैरा 1

[1977] 2 एससीआर 190

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2006] 2 पूरक।एस. सी. आर. 833 पैरा 13 [2006] 2 सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. 1 पैरा 21 [2015] 11 एस. सी. आर. 323 पैरा 21 (2006) 1 बम सी. आर. 545 पैरा 22 (2009) 89 सी. एल. ए. 65 पैरा 23 (2001) 3 एस. सी. सी. 482 पैरा 29 [2012] 12 एस. सी. आर. 1

डी.

ई.

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

[2016] 1 एससीआर 1118

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

[2010] 3 एससीआर 70

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:2019 की सिविल अपील No.2030।

च

2017 के कंपनी अपील (एटी) No.240 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 06.12.2018 के निर्णय और आदेश से।

पी. चिदंबरम, वरिष्ठ अधिवक्ता, सौम्या राय चौधरी, महेश अग्रवाल, गौरव गुप्ता, हिमांशु सतीजा, निशांत राव, राजेश कुमार, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

जी.

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, ध्रुव दीवान, सुश्री रीना चौधरी, सुश्री यशना मेहता, रविलोचन दलीपथी, प्रयुज शर्मा, एस. एस. श्रॉफ, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

एच.

533

आई. एफ. बी. एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनामसिकगिल इंडिया लिमिटेड और अन्य ए

क.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

पमिडिंग्थम श्री नरसिम्हा, जे.

1. इस अपील में हमारे विचार के लिए संक्षिप्त प्रश्न कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 59 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के सुधारात्मक अधिकार क्षेत्र के दायरे से संबंधित है। इस संदर्भ में, हमें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 1997 2 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 1992 3, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 4 के तहत बनाए गए हैं, के उल्लंघन के निर्णय और निर्धारण के लिए उपयुक्त मंच निर्धारित करने का आह्वान किया जाता है। हम दोनों प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं। पहले मुद्दे पर, इस न्यायालय के फैसले के बाद

ग

अमोनिया आपूर्ति निगम (पी) लिमिटेड बनाम आधुनिक प्लास्टिक

कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। 5, हमने माना है कि 2013 के अधिनियम की धारा 59 के तहत सुधारात्मक अधिकार क्षेत्र संक्षिप्त प्रकृति का है और इसका उपयोग करने का इरादा नहीं है जहां विवादित तथ्य और विवादित प्रश्न हैं। दूसरे मुद्दे पर, हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी कानून के तहत बनाए गए विनियामक निकायों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लेन-देनों को अनिवार्य रूप से उनकी पूर्व जांच, जांच और निर्णय के अधीन किया जाना चाहिए। इसलिए, हमने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि धारा 59 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड 6 के साथ एक समानांतर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, ताकि एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के उल्लंघन को दूर किया जा सके।

डी.

ई.

2. यह राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण 7 (जिसे इसके बाद 'अपीलीय न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित किया गया है) के फैसले के खिलाफ एक अपील है, जिसके तहत अपीलीय न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (जिसे इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित किया गया है) के फैसले को दरकिनार कर दिया है, जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 111 ए के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर कंपनी याचिका को अनुमति दी गई है। न्यायाधिकरण ने याचिका को स्वीकार करते हुए,

च

1 इसके बाद '2013 अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया।

2 इसके बाद 'एस. ई. बी. आई. (एस. ए. एस. टी.) विनियम' 3 के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसे इसके बाद 'एस. ई. बी. आई. (पी. आई. टी.) विनियम' 4 के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसे इसके बाद 'एस. ई. बी. आई. अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

जी.

5 (1998) 7 एससीसी 105

6 इसके बाद 'एस. ई. बी. आई.' या 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

7 राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण दिनांक 06.12.2018 की 2017 की कंपनी अपील (AT) 240

8 इसके बाद '1956 अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया।

एच.

534

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

अपीलार्थी को अपने उन शेयरों को वापस खरीदने का निर्देश दिया जो प्रत्यर्थियों के पास थे। अपील में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस निर्देश को इस आधार पर खारिज कर दिया कि न्यायाधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। यह अपीलीय न्यायाधिकरण का आदेश है जो हमारे सामने विवादित है।

प्रासंगिक तथ्य:

3. इसमें अपीलकर्ता एक सूचीबद्ध कंपनी है जो रेक्टिफाइड स्पिरिट, देशी शराब, समुद्री उत्पादों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है। उत्तरदाता नंबर 1 भी एक सूचीबद्ध कंपनी है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सूखी बर्फ के उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है। प्रत्यर्थी संख्या 2 प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रबंध निदेशक है, प्रत्यर्थी संख्या 3 प्रत्यर्थी संख्या 2 की पत्नी है, और प्रत्यर्थी संख्या 4-6 प्रत्यर्थी संख्या 2-3 के करीबी रिश्तेदार हैं।

ग

4. अपीलार्थी का यह तर्क है कि अगस्त 2003 में किसी समय, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच व्यावसायिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि अपीलार्थी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। अपीलार्थी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि इस अस्वीकृति के बाद, प्रत्यर्थियों ने प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने और संबंधित बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से खुले बाजार से अपीलार्थी के शेयर प्राप्त करना शुरू कर दिया। 18.01.2004 तक, प्रत्यर्थियों के पास सामूहिक रूप से अपीलार्थी की कुल चुकता शेयर पूंजी का केवल 5 प्रतिशत था।

डी.

ई.

5. आई. डी. 1 पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी के 600 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया और इसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी की कुल हिस्सेदारी अपीलार्थी की कुल चुकता शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत को पार कर गई, जिससे एस. ई. बी. आई. (एस. ए. एस. टी.) विनियमों के विनियमन 7 (1) 9 को बढ़ावा मिला। विनियम 7 (1) आदेश देता है कि जब कोई अधिग्रहणकर्ता, या तो स्वयं या अधिग्रहणकर्ता के साथ मिलकर काम करने वाले किसी व्यक्ति के साथ, अधिग्रहण करता है।

च

9 विनियम 7 (1) -

कोई भी अधिग्रहणकर्ता, जो शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त करता है, जो (उसके द्वारा रखे गए शेयरों या मतदान अधिकारों के साथ, यदि कोई हो) उसे किसी भी तरह से किसी कंपनी में पांच प्रतिशत या दस प्रतिशत या चौदह प्रतिशत या 54 प्रतिशत या 74 प्रतिशत से अधिक शेयर या मतदान अधिकार का हकदार बनाता है, वह हर स्तर पर उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी या मतदान अधिकारों के कुल का खुलासा उस कंपनी को और उन स्टॉक एक्सचेंजों को करेगा जहां लक्षित कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

जी.

विनियमन 2 (बी)

अधिग्रहणकर्ता का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लक्षित कंपनी में शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त करने के लिए सहमत होता है, या लक्षित कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सहमत होता है, या तो स्वयं या अधिग्रहणकर्ता के साथ मिलकर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ।

एच.

क.

5% या कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी से अधिक, फिर अधिग्रहणकर्ता कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज को एक प्रकटीकरण करना होगा। कहा जाता है कि इस विनियमन के अनुपालन में, उत्तरदाताओं ने अपीलार्थी को अगले ही दिन यानी 20.01.2004 पर एक सूचना भेजी थी। यह सूचना अपीलार्थी को 22.01.2004 पर प्राप्त हुई थी। अपीलार्थी का तर्क है कि विनियम 7 (1) के तहत प्रकटीकरण निर्धारित प्रारूप में नहीं था।

6. चार महीने बाद, आईडी1 पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी के अतिरिक्त शेयरों का अधिग्रहण किया, जिसके परिणामस्वरूप, उसकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी अपीलार्थी की कुल चुकता शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक हो गई। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 5 प्रतिशत के इस व्यक्तिगत पार ने एस. ई. बी. आई. (पी. आई. टी.) विनियमों को प्रेरित किया। इसके विनियम 13 10 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयरों का अधिग्रहण करता है, तो वह अधिग्रहणकर्ता कंपनी को खुलासा करेगा। प्रत्यर्थी संख्या 1 यह स्वीकार करता है कि वह निर्धारित समय के भीतर यह खुलासा करने में विफल रहा है। यह प्रतिवादी संख्या 1 का रुख है कि नोटिस जारी करने में विफलता जानबूझकर की गई गलती नहीं थी। अपीलार्थी का दावा है कि उसे उक्त अधिग्रहण के बारे में 04.06.2004 पर तब पता चला जब उसने अपीलार्थी कंपनी में प्रत्यर्थियों द्वारा रखे गए शेयरों की कुल संख्या की आंतरिक जांच की।

ग

डी.

1956 के अधिनियम की धारा **111** ए के तहत कंपनी याचिका:

ई.

7. यह उपरोक्त संदर्भित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में है कि 1956 के अधिनियम की धारा 111 ए के तहत कंपनी लॉ बोर्ड 11 के समक्ष अपीलकर्ता ने 5 प्रतिशत सीमा से अधिक के शेयरों के मालिक के रूप में प्रत्यर्थियों के नाम को हटाकर अपने रजिस्टर में सुधार करने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की। धारा 111 ए याचिका दायर करने की तारीख तक, प्रत्यर्थियों ने सामूहिक रूप से अपीलार्थी की चुकता शेयर पूंजी का लगभग 8.22% रखा।

च

8. उपरोक्त याचिका की सूचना प्राप्त करने पर, प्रतिवादी संख्या 1 ने 16.08.2004 पर, अपीलार्थी को एक सूचना जारी की, जैसा कि SEBI (PIT) विनियमों के विनियम 13 के तहत अनिवार्य है। दो दिन बाद,

जी.

10 विनियम 13 -

(1) कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर या मतदान का अधिकार है, वह ऐसा धारक बनने पर 2 कार्य दिवसों के भीतर फॉर्म ए में कंपनी को ऐसे व्यक्ति द्वारा रखे गए शेयरों या मतदान अधिकारों की संख्या का खुलासा करेगा: (क) शेयरों के आवंटन की सूचना की प्राप्ति; या (ख) शेयरों का अधिग्रहण या मतदान अधिकार, जैसा भी मामला हो।

11 इसके बाद 'सी. एल. बी.' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

एच.

536

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

18.08.2004, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कथित रूप से अपीलार्थी के कुछ शेयर बेच दिए और अपनी व्यक्तिगत हिस्सेदारी को 4.91% पर ला दिया। इस तथ्य का विरोध किया जाता है, क्योंकि अपीलार्थी का दावा है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कभी भी अपनी हिस्सेदारी कम नहीं की। आई. डी. 1 पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एस. ई. बी. आई. को यह भी लिखा कि अपीलार्थी में उसकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी आई. डी. 2 पर 5 प्रतिशत को पार कर गई थी और अपीलार्थी को इसका खुलासा करने में देरी हुई थी। एस. ई. बी. आई. को सूचित किया गया कि अपीलार्थी में प्रतिवादी संख्या 1 की व्यक्तिगत हिस्सेदारी अब 5 प्रतिशत से कम है। हमारे समक्ष यह प्रस्तुत किया गया है कि एस. ई. बी. आई. ने कोई नियामक कार्रवाई नहीं की है।

9. धारा 111 ए के तहत याचिका के लंबित रहने के दौरान, 2013 का अधिनियम लागू हुआ और मामला न्यायाधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया। न्यायाधिकरण ने केवल एक प्रश्न तैयार किया-क्या अधिग्रहण

ग

एस. ई. बी. आई. विनियमों के तहत प्रकटीकरण मानदंडों के वैधानिक प्रावधानों का पालन किए बिना उत्तरदाताओं द्वारा शेयर वैध हैं?

न्यायाधिकरण का निर्णय:

10. न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 05.07.2017 के फैसले में कहा कि दिनांकित 16.08.2004 की सूचना SEBI (PIT) विनियमों का उल्लंघन है क्योंकि उक्त घोषणा को शेयरों के आवंटन या शेयरों के अधिग्रहण या मतदान अधिकारों की सूचना प्राप्त होने के चार कार्य दिवसों के भीतर दायर किया जाना था। न्यायाधिकरण ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि एस. ई. बी. आई. (पी. आई. टी.) विनियमों में 'व्यक्ति' शब्द का अर्थ प्रतिवादी संख्या 1 के अलावा अन्य सभी उत्तरदाताओं को सम्मिलित रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों के रूप में शामिल किया जा सकता है। इसका कारण यह था कि अपीलार्थी के प्रबंधन में नियंत्रण का प्रयोग सभी प्रत्यर्थियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने यह भी माना कि एस. ई. बी. आई. (एस. ए. एस. टी.) विनियमों का उल्लंघन किया गया है क्योंकि प्रत्यर्थियों ने उचित प्रारूप में खुलासा नहीं किया है।

डी.

ई.

च

11. जहाँ तक 1956 के अधिनियम की धारा 111 ए के तहत शक्ति के प्रयोग का संबंध है, न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि एस. ई. बी. आई. नियमों के उल्लंघन के मामले में, धारा 111 ए एक कंपनी को सुधार के लिए आवेदन करने का अधिकार देती है, और ऐसे मामलों में, न्यायाधिकरण शरारत को पूर्ववत करने के लिए एक आदेश पारित करने का हकदार है। न्यायाधिकरण ने राय दी कि एस. ई. बी. आई. का विनियामक अधिकार क्षेत्र न्यायाधिकरण को 1956 के अधिनियम की धारा 111 ए के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने माना कि सी. एल. बी. और एस. ई. बी. आई. द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ अलग-अलग और विशिष्ट क्षेत्राधिकार क्षेत्रों में आती हैं और इसलिए, वर्तमान आदेश एस. ई. बी. आई. को अपने नियमों के किसी भी उल्लंघन पर निर्णय लेने से नहीं रोकेगा। कंपनी की याचिका को अनुमति देना, ए

जी.

एच.

न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि 5 प्रतिशत से अधिक शेयरों का अधिग्रहण एस. ई. बी. आई. (पी. आई. टी.) विनियमों और एस. ई. बी. आई. (एस. ए. एस. टी.) विनियमों का उल्लंघन था। न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतिम आदेश इस प्रकार है:

“वर्तमान कंपनी याचिका की अनुमति है। उत्तरदाताओं ने बाद में घोषणा प्रस्तुत की

याचिकाकर्ता कंपनी में उनके द्वारा अधिग्रहित 5 प्रतिशत से अधिक शेयरों के बारे में अपने अधिकारों का प्रयोग करने से रोक दिया गया है, कंपनी इसके द्वारा उन शेयरों को वापस खरीदने के लिए अधिकृत है जो प्रतिवादी कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं, उस दर पर जो याचिका या बाजार मूल्य की प्रस्तुति की तारीख पर प्रचलित थी, जो भी अधिक हो। प्रत्यर्थियों को आदेश के 30 दिनों के भीतर कंपनी को शेयर प्रमाण पत्र और शेयर हस्तांतरण प्रपत्र सौंपने का निर्देश दिया जाता है और इसके जवाब में याचिकाकर्ता पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो उन शेयरों का मूल्य होगा जो याचिका प्रस्तुत करने की तारीख या बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर प्रचलित था।

ग

डी.

यह स्पष्ट है कि कंपनी विधि बोर्ड द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति और एस. ई. बी. आई. द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां विभिन्न और विशिष्ट क्षेत्राधिकार क्षेत्रों में आती हैं। इसलिए, वर्तमान आदेश वर्तमान याचिका में निर्धारित किए गए एस. ई. बी. आई. विनियमों के उल्लंघन पर निर्णय लेने के लिए एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में एस. ई. बी. आई. के अधिकार क्षेत्र को बाधित नहीं करेगा।”

ई.

अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय:

12. यहाँ प्रत्यर्थियों ने अपील में मामले को अपीलीय न्यायाधिकरण में ले जाया। अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष सीमित प्रश्न यह था कि क्या न्यायाधिकरण को 1956 के अधिनियम की धारा 111 ए के तहत याचिका पर विचार करते हुए पुनर्खरीद का आदेश पारित करने का अधिकार था। अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 06.12.2018 के आदेश द्वारा अपील की अनुमति दी और न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया। दुर्भाग्य से, अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश में न तो विश्लेषण है और न ही कोई तर्क है। सामान्य तौर पर, हम अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को दरकिनारा कर देते और मामले को पुनर्विचार के लिए भेज देते। हालाँकि, चूंकि विवादित आदेश के पारित होने के बाद से चार साल की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए हमने वर्तमान अपील का अंत में निपटारा करना उचित समझा। इस संदर्भ में मामले की विस्तार से सुनवाई की गई। अब हम उल्लेख करेंगे

च

जी.

एच.

538

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों के लिए।

दलों की प्रस्तुतियाँ:

13. अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. चिदम्बरम ने तर्क दिया कि-(i) जब एस. ई. बी. आई. (एस. ए. एस. टी.) विनियमों के विनियम 7 (1) को लागू किया गया तो प्रत्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में कोई समय पर सूचना नहीं दी गई थी। (ii) प्रतिवादी संख्या 1-6, "जुड़े हुए व्यक्तियों" के रूप में (एस. ई. बी. आई. (पी. आई. टी.) विनियमों के 2 (सी) के अनुसार) "एक साथ काम कर रहे थे" (एस. ई. बी. आई. (एस. ए. एस. टी.) विनियमों के 2 (ई) के अनुसार) जिससे एस. ई. बी. आई. (पी. आई. टी.) विनियमों के विनियम 13 और 14 का उल्लंघन हो रहा था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्यर्थियों ने गैर-प्रकटीकरण को स्वीकार किया है, और (iii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 12 के रूप में, कंपनी अधिनियम के अपमान के अलावा पढ़ा जाना चाहिए। अपीलार्थी रजिस्टर के सुधार के लिए 1956 के अधिनियम की धारा 111 ए के तहत न्यायाधिकरण से संपर्क करने का हकदार है। इन दलीलों के समर्थन में, मन्नालाल खेतान में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया गया था

ग

डी.

& ओआरएस. वी. केदार नाथ खेतान और अन्य। 13, अध्यक्ष, एस. ई. बी. आई. बनाम श्रीराम म्यूचुअल फंड और अन्य 14.

14. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने तर्क दिया कि-(i) धारा 111 ए के तहत याचिका दायर करना प्रक्रिया का दुरुपयोग है; (ii) एस. ई. बी. आई. (एस. ए. एस. टी.) विनियमों का कोई उल्लंघन नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थियों ने निर्धारित प्रारूप में समय पर सूचना दी थी; (iii) धारा 111 ए याचिका में एस. ई. बी. आई. (एस. ए. एस. टी.) विनियमों के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया था, और इसमें कोई संशोधन करने का प्रयास नहीं किया गया था; (iv) एस. ई. बी. आई. (पी. आई. टी.) विनियम उत्तरदाता सं. 2-6 क्योंकि उनकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी कभी भी 5 प्रतिशत को पार नहीं कर सकी। यह केवल उत्तरदाता नंबर 1 था जिसकी हिस्सेदारी 5 प्रतिशत को पार कर गई थी, जिसका वह अनजाने में खुलासा करने में विफल रहा। (v) एस. ई. बी. आई. (पी. आई. टी.) विनियम प्रत्यर्थी संख्या 2-6 पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि उक्त विनियमों के तहत 'सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों' की कोई अवधारणा नहीं है; (vi) धारा 111 ए (3) के तहत न्यायाधिकरण के पास हस्तांतरण को रद्द करने या शेयरों को वापस खरीदने का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है।

ई.

च

जी.

15. दोनों पक्षों को सुनने के बाद, हम अपने विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न तैयार करते हैं।

12 इसके बाद 'एस. ई. बी. आई. अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया। 13 (1977) 2 एस. सी. सी. 424

14 (2006) 5 एससीसी 361 ए

एच.

539

आई. एफ. बी. एगो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम एस. आई. सी. जी. आई. एल. इंडिया लिमिटेड. और अन्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

सदस्यों के रजिस्टर को सुधारने के लिए 2013 के अधिनियम की धारा 59 द्वारा संशोधित 1956 के अधिनियम की धारा 111 ए का दायरा और दायरा क्या है? एस. ई. बी. आई. (एस. ए. एस. टी.) विनियम 1997 और एस. ई. बी. आई. (पी. आई. टी.) विनियम 1992 के तहत उल्लंघनों और परिणामी कार्यों के निर्णय और निर्धारण के लिए कौन सा उपयुक्त मंच है?

री: 2013 के अधिनियम की धारा 59 द्वारा प्रतिस्थापित 1956 के अधिनियम की धारा 111 ए की व्याख्या और व्याप्ति:

16. अपीलार्थी द्वारा 1956 के अधिनियम की धारा 111 ए के तहत अपनी कंपनी याचिका में दावा की गई राहत निम्नानुसार है:- प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“(क) घोषणा कि प्रत्यर्थी द्वारा कंपनी के और उसके शेयरों का अधिग्रहण अवैध, अमान्य और शून्य है और इसका कोई प्रभाव नहीं है;

ग

(ख) प्रत्यर्थियों द्वारा अधिग्रहित कंपनी के सभी शेयरों के मालिकों के रूप में प्रत्यर्थियों के नामों को हटाकर अभिलेखों को सुधारने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएँ; (ग) प्रत्यर्थियों को, चाहे वे स्वयं या उनके सेवकों या एजेंटों द्वारा या अन्यथा, किसी भी तरह से कंपनी में प्रत्यर्थियों द्वारा रखे गए शेयरों के संबंध में किसी भी अधिकार का प्रयोग करने या कोई लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा;

डी.

ई.

(डी)।

(ई)।”

17. धारा 111 ए के तहत एक याचिका में प्रत्यर्थियों द्वारा शेयरों के अधिग्रहण को अमान्य ठहराने की घोषणा की जांच न्यायाधिकरण के सुधारात्मक अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे के संदर्भ में और विशेष रूप से, उक्त प्रावधान के विशिष्ट शब्दों के संदर्भ में की जानी चाहिए।

च

18. कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 38 के तहत बोर्ड/कंपनी न्यायालय की सुधारात्मक शक्तियां, फिर 1956 के अधिनियम की धारा 155 के तहत, उसके बाद 1956 के अधिनियम में 1996 के संशोधन द्वारा शुरू की गई धारा 111 ए और अंत में, 2013 के अधिनियम की धारा 59, यह दर्शाती हैं कि इसके आवश्यक तत्व समान रहे हैं। यह सदस्यों के रजिस्टर में सुधार या सुधार करने की संक्षिप्त शक्ति है। सुधार का संबंध उन तथ्यों से होना चाहिए जो स्पष्ट हैं और जिन्हें गंभीर जांच की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित एक तुलनात्मक तालिका है

जी.

एच.

rectificatory jurisdiction of the Tribunal and, in particular, the specific wordings of the said provision.

18. The rectificatory powers of a Board/Company Court under Section 38 of the Companies Act, 1913, then under Section 155 of the 1956 Act, followed by Section 111A introduced by the 1996 Amendment to the 1956 Act, and finally, Section 59 of the 2013 Act, demonstrate that its essential ingredients have remained the same. It is a summary power to carry out corrections or rectifications in the register of members. The rectification must relate to and be confined to the facts that are evident and need no serious enquiry. The following is a comparative table indicating the legislative changes. For the purpose of the present proceeding, we can confine the examination between the 1956 Act with its 1996 amendment and the 2013 Act.

<u>Companies Act, 1956</u> <u>(Section 155).</u>	<u>Companies Act, 1956</u> <u>(Section 111A)</u>	<u>Companies Act, 2013</u> <u>(Section 59)</u>
155. Power of court to rectify Register of Members (1) If— (a) the name of any person— (i) is without sufficient cause, entered in the Register of	111A. Rectification of register on transfer. (1) In this section, unless the context otherwise requires, "company" means a company other than a company referred to in sub-section (14) of section 111 of this Act.	Section 59: Rectification of register of members 59. (1) If the name of any person is, without sufficient cause, entered in the register of members of a company, or after having been entered in the register, is, without sufficient cause,

Page 13 of 31

540

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

विधायी परिवर्तनों का संकेत।वर्तमान कार्यवाही के उद्देश्य के लिए, हम 1956 के अधिनियम के 1996 के संशोधन और 2013 के अधिनियम के बीच परीक्षा को सीमित कर सकते हैं।

--	--	--

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

	debentures held by a depository or from the date on which the instrument of transfer or intimation of the transmission was delivered to the company, as the case may be, after such inquiry as it thinks fit, direct any depository or company to rectify its register or records.] (4) The [Tribunal] while acting under sub-section (3), may at its discretion make such interim order as to suspend the voting rights before making or completing such enquiry. (5) The provisions of this section shall not restrict the right of a holder of shares or debentures, to transfer such shares or debentures and any person acquiring such shares or debentures shall be entitled to voting rights unless the voting rights have been suspended by an order of the [Tribunal]. (6) Notwithstanding anything contained in this section, any further transfer, during the pendency of the application with the [Tribunal], of shares or debentures shall entitle the transferee to voting rights unless the voting rights in	(3) The provisions of this section shall not restrict the right of a holder of securities, to transfer such securities and any person acquiring such securities shall be entitled to voting rights unless the voting rights have been suspended by an order of the Tribunal. (4) Where the transfer of securities is in contravention of any of the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, (42 of 1956), the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or this Act or any other law for the time being in force, the Tribunal may, on an application made by the depository, company, depository participant, the holder of the securities or the Securities and Exchange Board, direct any company or a depository to set right the contravention and rectify its register or records concerned. (5) [***] 1. Omitted by the Companies (Amendment) Act, 2020,
--	---	---

ग
डी.
ई.
च
जी.
एच.

	respect of such transferee have been suspended. (7) The provisions of sub-sections (5), (7), (9), (10) and (12) of section 111 shall, so far as may be, apply to the proceedings before the [Tribunal] under this section as they apply to the proceedings under this section.]	w.e.f. 21.12.2020[S.O. 4646(E) dated 21.12.2020], the sub-section: "(5) If any default is made in complying with the order of the Tribunal under this section, the company shall be punishable with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to five lakh rupees and every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to three lakh rupees, or with both."
--	---	---

19. The scope and ambit of Section 155 of the 1956 Act, as it then existed, fell for consideration in a decision of this Court in *Ammonia Supplies* (supra). The application for rectification in *Ammonia's* case was filed under Section 155, and it was submitted that the scope for rectification under Section 155 is enlarged in comparison with the position as it were under Section 38 of the 1913 Act. Rejecting the argument, this Court in *Ammonia* held that the jurisdiction exercised by the court for rectification of the

ग

डी.

19. 1956 के अधिनियम की धारा 155 का दायरा और दायरा, जो उस समय मौजूद था, अमोनिया आपूर्ति (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के एक फैसले में विचार के लिए था। अमोनिया के मामले में सुधार के लिए आवेदन धारा 155 के तहत दायर किया गया था, और यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 155 के तहत सुधार का दायरा स्थिति की तुलना में बढ़ाया गया है क्योंकि यह 1913 अधिनियम की धारा 38 के तहत था। तर्क को खारिज करते हुए, अमोनिया में इस न्यायालय ने कहा कि सदस्यों के रजिस्टर के सुधार के लिए न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अधिकार क्षेत्र अनिवार्य रूप से सीमित है। अमोनिया में तुलनात्मक विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि श्री चिदंबरम द्वारा हमारे समक्ष इसी तरह का निवेदन किया गया है कि 1956 के अधिनियम की धारा 111 ए की तुलना में 2013 के अधिनियम की धारा 59 के तहत न्यायाधिकरण का दायरा और अधिकार क्षेत्र व्यापक है, जैसा कि 1996 में संशोधित किया गया था। अमोनिया में निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

च

जी.

“26. इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुधार के परिधीय क्षेत्र के भीतर कोई भी सवाल उठाया जा सकता है, यह केवल धारा 155 के तहत अदालत है जिसका अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा। हालाँकि, उठाया गया सवाल यहाँ नहीं रुकता है। यदि कोई दावा कुछ गंभीर रूप से विवादित नागरिक अधिकारों या शीर्षक पर आधारित है, तो इनकार ए

एच.

543

आई. एफ. बी. एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम एस. आई. सी. जी. आई. एल. इंडिया लिमिटेड. और अन्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

किसी लेन-देन या किसी अन्य बुनियादी तथ्य का, जो सदस्य होने के अधिकार का दावा करने का आधार हो सकता है और यदि न्यायालय को लगता है कि ऐसा दावा सुधार नहीं है, बल्कि सुधार से बाहर आने वाले कुछ ऐसे तथ्यों के मूल स्तंभ के निर्णय की मांग करता है, तो ऐसे तथ्यों के निर्णय के लिए पहले किसी पक्ष को दीवानी न्यायालय के समक्ष उसकी राहत लेने के लिए भेजने का उसका विवेकाधिकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय का ऐसा अधिकार केवल उपरोक्त परंतुक को हटाने के कारण छीन लिया गया है। अन्यथा सुधार की आड़ में कोई भी ऐसे कई विवादास्पद मुद्दों का दावा कर सकता है जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इस प्रकार दूसरे शब्दों में, उसके अधीन न्यायालय को यह पता लगाने का विवेकाधिकार है कि क्या उठाया गया विवाद वास्तव में सुधार के लिए है या ऐसी प्रकृति का है कि जब तक पहले निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक यह सुधार के दायरे में नहीं आएगा। "सुधार" शब्द अपने आप में कुछ त्रुटि को दर्शाता है जो सुधार की आवश्यकता में आ गई है। त्रुटि का मतलब केवल यह होगा कि कानून के तहत आवश्यक सब कुछ किया गया है, फिर भी किसी गलती से नाम या तो हटा दिया गया है या कंपनी के रजिस्टर में गलत तरीके से दर्ज किया गया है।

ग

डी.

27. दूसरे शब्दों में, सुधार के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, कंपनी के रजिस्टर में नाम दर्ज करने से पहले कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रत्येक प्रक्रिया का आवेदक द्वारा पालन किया गया है। न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों की जांच करनी होती है कि क्या कोई आवेदन सुधार के लिए है या कुछ और। इसलिए इसके तहत अदालत का क्षेत्र या परिधीय क्षेत्राधिकार सुधार के तहत आता है, न कि सुधार की आड़ में अनुमानित दावे। जहाँ तक अपने क्षेत्र के भीतर सुधार के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि न्यायालय, जैसा कि धारा 2 (11) और धारा 10 के साथ पठित धारा 155 के तहत संदर्भित है, यह अकेले कंपनी न्यायालय के पास अनन्य है, इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह के "अदालत को अपने भीतर शामिल करने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र है जो इसके तहत शामिल नहीं है, केवल इसलिए कि यह नामकरण सुधार के तहत है, इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत वस्त्र को हटाने के बाद पदार्थ को नहीं देख सकती है।

ई.

च

जी.

28. हमारे सामने जांच के लिए प्रश्न परिधीय क्षेत्र है जिसके भीतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है एच.

544 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

सुधार। जैसा कि ऊपर कहा गया है, "सुधार" शब्द ही कुछ ऐसा दर्शाता है जो किया जाना चाहिए था लेकिन गलती से नहीं किया गया था और जो नहीं किया जाना चाहिए था उसे सुधार की आवश्यकता थी। दूसरे शब्दों में सुधार अधिनियम के तहत निर्देशों का पालन करने में कंपनी की विफलता है।

...

31. धारा 155 की उप-धारा (1) (ए) एक ऐसे मामले को संदर्भित करती है जहां किसी व्यक्ति का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पर्याप्त कारण के बिना दर्ज या हटा दिया गया है। अधिनियम और नियमों के संबंध में "पर्याप्त कारण" शब्द का परीक्षण किया जाना है। पर्याप्त कारण दर्ज किए बिना या दर्ज किए जाने के लिए छोड़े जाने का अर्थ है अधिनियम और नियमों के विपरीत किया गया या किया जाना छोड़ दिया गया या अधिनियम और नियमों के तहत क्या किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया। इस उपखंड को पढ़ने से उस सीमा का पता चलता है जिसके तहत न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि सुधार से संबंधित सभी मामलों का निर्णय लेने के लिए विशिष्टता के बावजूद इसे उक्त चार कोनों के भीतर कार्य करना होगा और ऐसे मामलों के निर्णय को संक्षिप्त प्रकृति का होने पर संदेह नहीं किया जा सकता है। इसलिए, जब भी कोई सवाल उठाया जाता है तो अदालत को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्णय लेना पड़ता है। यदि यह वास्तव में सुधार है, तो उस संबंध में उठाए गए सभी मामलों का निर्णय अदालत द्वारा धारा 155 के तहत किया जाना चाहिए और यदि वह किसी ऐसे मामले का निर्णय पाता है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो वह किसी पक्ष को दीवानी अदालत द्वारा अपने अधिकार का निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है।...."

ग

डी.

ई.

च

20. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि धारा 155 की व्याख्या करते समय, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सी. एल. बी. की शक्ति संकीर्ण है और केवल सुधार के प्रश्नों पर विचार कर सकता है। यदि कोई याचिका सुधार की आड़ में निर्णय की मांग करती है, तो सी. एल. बी. के पास अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, और संबंधित मंच से संपर्क करने के लिए पक्षों को फिर से निर्देशित करना कर्तव्यबद्ध होगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि 'पर्याप्त कारण' शब्दों की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है जिससे

प्रावधान का दायरा बढ़े। 21. अमोनिया में निर्णय का पालन इस न्यायालय ने धारा 155 को हटाने और धारा 111 ए को शामिल करने के बाद भी किया था। यह

जी.

न्यायालय ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज ए मामले में

एच.

545

आई. एफ. बी. एगो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम एस. आई. सी. जी. आई. एल. इंडिया लिमिटेड. और अन्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

लिमिटेड और ओआरएस। 15 और जय महल होटल्स (पी) लिमिटेड बनाम देवराज सिंह और अन्य। 16,

यह अभिनिर्धारित किया कि भले ही 1956 के अधिनियम 17 की धारा 111 (7) सी. एल. बी. की शक्ति को बढ़ाती प्रतीत होती है, लेकिन सुधार की शक्ति प्रकृति में संक्षिप्त बनी हुई है और यदि कोई गंभीर रूप से विवादित प्रश्न उत्पन्न होते हैं, तो कंपनी न्यायालय को पक्षों को एक ऐसे मंच पर भेज देना चाहिए जो ऐसे विवादित प्रश्नों की जांच और निर्णय के लिए अधिक उपयुक्त हो।

22. केशा अप्लायांसेज (पी) लिमिटेड और ओआरएस बनाम रॉयल होल्डिंग्स

सर्विसेज लिमिटेड और अन्य। 18, बम्बई उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:

“41. वादी के लिए विद्वान वकील का यह तर्क कि सी. पी. सी. की धारा 9 के तहत पहले से मौजूद सामान्य कानून का अधिकार था और पहले से मौजूद सामान्य कानून का अधिकार धारा 15 वाई और 20 ए के प्रावधानों द्वारा नहीं लिया गया है, भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुधार का सामान्य कानून अधिकार जिसे वर्तमान मामले में वादी द्वारा लागू और प्रयोग करने की मांग की जाती है, अधिग्रहण विनियमों के आधार पर प्रदत्त अधिकार से उत्पन्न होता है और एक बार अधिग्रहण विनियमों के प्रावधानों को लागू किया जाता है तो धारा 15 वाई और 20 ए के प्रावधानों के आधार पर पूरी अधिकारिता विशेष रूप से एस. ई. बी. आई. अधिकारियों को प्रदान की जाती है। विद्वान वकील का तर्क कि धारा 15 वाई के तहत एक न्यायनिर्णायक अधिकारी को प्रदत्त एकमात्र अधिकार क्षेत्र पक्ष को दंडित करना है और सुधार के लिए नहीं, इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि धारा 15 वाई के प्रावधानों को एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 20 ए के साथ पढ़ा जाना है जो बोर्ड को किसी भी आदेश को पारित करने की शक्ति प्रदान करता है जिसमें अधिग्रहण विनियमों के विनियमन 44 के तहत विचार किए गए निर्देश शामिल हैं।

ग

डी.

ई.

च

...

43. मेरी राय है कि अधिनियम की धारा 20 ए के साथ पठित धारा 15 वाई के सरल और सरल अध्ययन पर सभी मामले

15 (2006) 6 एससीसी 94

जी.

16 (2016) 1 एस. सी. सी. 423

17 धारा 111 (7)-इस धारा के तहत किसी भी आवेदन पर, न्यायाधिकरण-(ए) किसी भी व्यक्ति के अधिकार से संबंधित किसी भी प्रश्न पर निर्णय ले सकता है जो आवेदन में एक पक्ष है, जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया गया है, या उसमें से हटा दिया गया है; (बी) आम तौर पर, किसी भी प्रश्न पर निर्णय ले सकता है जो सुधार के लिए आवेदन के संबंध में निर्णय लेना आवश्यक या समीचीन है।

18 (2006) 1 बम सी. आर. 545

एच.

546 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

उल्लंघन और अधिग्रहण विनियमन से उत्पन्न होना अनिवार्य रूप से एस. ई. बी. आई. के अनन्य क्षेत्र के भीतर आना चाहिए और एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15 वाई और धारा 20 ए के तहत निहित एक्सप्रेस बार के आधार पर कानून की अदालत में शिकायत नहीं की जा सकती है। मेरी यह भी राय है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि शेयर रजिस्टर के सुधार के लिए आवेदन करने के लिए एक साझा कानूनी अधिकार है, भले ही यह उसका अपना हिस्सा नहीं है, जिसके संबंध में वह सुधार की मांग कर रहा है, लेकिन फिर भी उक्त अधिकार यदि यह अधिग्रहण विनियमों के प्रावधानों से आता है तो निस्संदेह यह एस. ई. बी. आई. के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आया और उपरोक्त प्रतिमा के तहत निहित एक्सप्रेस बार को देखते हुए इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आया। मेरा यह भी मत है कि विनियमन 44 के उपखंड (ग) और (घ) के तहत समाधान का प्रावधान करके डब्ल्यू. ई. एफ. डब्ल्यू. ई. एफ. डब्ल्यू. ई. एफ. (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) द्वितीय संशोधन (विनियमन 2002) के संशोधन प्रावधानों के अधिग्रहण विनियमन के संशोधन के अधिनियम को बोर्ड को आवंटन को रद्द करने की घोषणा करके और/या कंपनी को हस्तांतरण को प्रभावी नहीं करने का निर्देश देकर शेयर रजिस्टर के सुधार की प्रभावी राहत देने का अधिकार दिया गया है यदि वे अधिग्रहण विनियमन के विपरीत पाए जाते हैं।"

ग

डी.

ई.

23. ज़ांडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम देवकुमार वैद्य और

ओआरएस। 19, एक अन्य उदाहरण है जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एस. ई. बी. आई. विनियमों के उल्लंघन के मामले में, सी. एल. बी. सुधारात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि एस. ई. बी. आई. पहली बार में यह तय नहीं करता कि उल्लंघन हुआ है या नहीं। सी. एल. बी. ने कहा कि:

च

"11. याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए अधिकांश आरोपों की अभी तक जांच नहीं की गई है और कानून के उल्लंघन के रूप में स्पष्ट/पुष्टि की जानी है। अधिग्रहण संहिता और अंदरूनी व्यापार के उल्लंघन के आरोपों का निर्णय एस. ई. बी. आई. द्वारा किया जाना है और इसी तरह अधिनियम की धारा 372 ए के तहत सीमा से अधिक निवेश और अधिनियम की धारा 108 ए के तहत एक प्रमुख उपक्रम बनाने वाले शेयरों के अधिग्रहण के आरोपों की जांच की जानी है और केंद्र सरकार द्वारा उल्लंघन के रूप में स्पष्ट/पुष्टि की जानी है। जब तक इसकी पुष्टि कानून के उल्लंघन के रूप में नहीं की जाती है, सी. एल. बी. के पास सुधार के लिए आदेश जारी करने की कोई शक्ति नहीं है।

जी.

19 (2009) 89 सीएलए 65 ए

एच.

आई. एफ. बी. एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम एस. आई. सी. जी. आई. एल. इंडिया लिमिटेड. और अन्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

सदस्यों के रजिस्टर और इसके अलावा इस पीठ के पास इन आरोपों को कानून का उल्लंघन घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है।"

24. रजिस्टर के सुधार के संबंध में एक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से संबंधित अमोनिया के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत को अच्छी तरह से मान्यता दी गई है और लगातार इसका पालन किया जाता है। धारा 59 की उप-धारा (3) मतदान की सहवर्ती पात्रता के साथ प्रतिभूतियों को रखने और हस्तांतरित करने के व्यापक अधिकार को मान्यता देती है। यह एक बहुमूल्य अधिकार है और यही कारण है कि संसद ने यह सावधान करना आवश्यक पाया कि इस धारा का प्रावधान प्रतिभूतियों के धारक के ऐसी प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा। यह एक अन्य विशेषता है जो रजिस्टर के सुधार की शक्ति के सीमित दायरे और विस्तार का संकेत देती है। 25. ऊपर बताए गए कारण के लिए, हमारी राय है कि कंपनी 1956 के अधिनियम की धारा 111 ए के तहत एक घोषणा के लिए याचिका दायर करती है कि प्रत्यर्थियों द्वारा शेयरों का अधिग्रहण अमान्य के रूप में गलत धारणा है। न्यायाधिकरण को अपीलार्थी को उचित मंच के समक्ष ऐसी घोषणा करने का निर्देश देना चाहिए था। इसलिए, अपीलीय न्यायाधिकरण अपील को स्वीकार करने और न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार करने में उचित है।

ग

डी.

री:एस. ई. बी. आई. विनियमों के उल्लंघन की जांच और निर्णय के लिए उपयुक्त मंच:

26. एक अन्य परिप्रेक्ष्य है जिसमें धारा 111 ए के तहत कंपनी की याचिका की वैधता और औचित्य का आकलन किया जा सकता है कि शेयरों के अधिग्रहण को एस. ई. बी. आई. विनियमों के उल्लंघन के लिए अमान्य घोषित किया जाए-जो कि एस. ई. बी. आई. (एस. ए. एस. टी.) विनियमों और एस. ई. बी. आई. (पी. आई. टी.) विनियमों के तहत उल्लंघनों और परिणामी कार्रवाइयों के निर्णय और निर्धारण के लिए उपयुक्त मंच है?

ई.

च

27. लोक प्रशासन गतिशील और निरंतर विकसित होता रहता है। अब यह स्थापित हो गया है कि स्वतंत्र नियामक निकायों के माध्यम से कुछ क्षेत्रों का शासन सरकार के मंत्रालयों या विभागों के प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत होने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होगा। क्षेत्र विशेषज्ञों से बने एक स्वतंत्र निकाय द्वारा विनियामक नियंत्रण इस क्षेत्र के एक सुसंगत, पारदर्शी, स्वतंत्र, आनुपातिक और जवाबदेह प्रशासन और विकास को सक्षम बनाता है। यह सब विधायी अधिनियमों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जो निर्दिष्ट शक्तियों और कार्यों के साथ स्वतंत्र नियामक निकायों की स्थापना करते हैं। वे शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करते हैं, जिनमें विधायी, कार्यकारी और न्यायिक विशेषताओं का संयोजन होता है।

जी.

एच.

548

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

28. इन नियामकों की एक अन्य विशेषता यह है कि वे उपभोक्ताओं और क्षेत्र के वास्तविक हितधारकों के हितों की रक्षा करने के वैधानिक कर्तव्य से प्रभावित हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण 20, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण 21,

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड 22, केंद्रीय 23 और राज्य 24 विद्युत नियामक आयोग और हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण 25, अपने-अपने कानूनों के तहत स्थापित कुछ नियामक हैं। एस. ई. बी. आई. 26 ऐसा ही एक नियामक है।

29. SEBI की स्थापना 1988 में लोगों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी।

प्रतिभूतियों में निवेशक और विकास को बढ़ावा देना, और

प्रतिभूति बाजार को विनियमित करें। इस न्यायालय को निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक व्यवस्थित और स्थिर प्रतिभूतियों के बाजार को बनाए रखने में एस. ई. बी. आई. की नियामक भूमिका पर विचार करने का अवसर मिला।

ग

30. धारा 30 के साथ पठित अध्याय-IV, VI-A में निहित वैधानिक प्रावधान बोर्ड के विधायी 28, प्रशासनिक 29 और न्यायनिर्णायक 30 कार्यों को निरूपित करते हैं। अपने मानक या विधायी कार्यों में, एस. ई. बी. आई. प्रतिभूति बाजार पर असर डालने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए नियम बना सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस कानून के तहत बनाए गए या जारी किए गए एस. ई. बी. आई. अधिनियम, नियम, विनियम और परिपत्र, प्रतिभूति बाजार में व्यवस्था को लागू करने और निवेशक धन की रक्षा करते हुए इसके स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के एक ठोस उद्देश्य के साथ लगातार विकसित हो रहे हैं। जहाँ तक इसकी प्रशासनिक/कार्यकारी शक्ति की बात है, उसके पास स्टॉक एक्सचेंजों और प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय को विनियमित करने की शक्ति है। बोर्ड पंजीकरण के लिए प्रावधान करता है और

डी.

ई.

20 धारा 3, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997।

21 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3।

च

22 धारा 188, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 23 धारा 76, विद्युत अधिनियम, 2003।

24 धारा 82, विद्युत अधिनियम, 2003।

25 धारा 3, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008। 26 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3।

27 बी. एस. ई. ब्रोकर्स फोरम, बॉम्बे और अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और अन्य (2001) 3 एस. सी. सी. 482 (पैरा 17); सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम एस. ई. बी. आई और ए. एन. आर. , (2013) 1 एस. सी. सी. 1 (पैरा 298); भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड बनाम किशोर आर. अजमेरा, (2016) 6 एस. सी. सी. 368 (पैरा 25); प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

जी.

भारत बनाम अजय अग्रवाल, (2010) 3 एससीसी 765 (पैरा 33-34); प्रकाश गुप्ता बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 485 (पैरा 102)।

28 धारा 30, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992। 29 अध्याय IV, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992। 30 अध्याय VI-A, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992।

एच.

आई. एफ. बी. एगो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनामएस. आई. सी. जी. आई. एल. इंडिया लिमिटेड. और अन्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

क.

स्टॉक ब्रोकरों, शेयर हस्तांतरण एजेंटों, डिपॉजिटरी, उद्यम पूंजी निधियों, सामूहिक निवेश योजनाओं आदि का विनियमन। इसके पास विभिन्न लेन-देनों को प्रतिबंधित करने की शक्ति भी है जो प्रतिभूति बाजार के स्वास्थ्य में हस्तक्षेप करते हैं।

31. धारा 15-I के तहत अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, SEBI के पास जांच करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करने, संबंधित व्यक्ति को उचित अवसर देने और यह निर्धारित करने की शक्ति है कि क्या निर्धारित नियमों का कोई उल्लंघन हुआ है। बोर्ड के पास उल्लंघन के लिए दंड लगाने और पक्षों को फिर से स्थापित करने की शक्ति है। न्यायिक शक्ति में एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15 जे. बी. के तहत प्रशासनिक और दीवानी कार्यवाही को निपटाने की शक्ति भी शामिल है।

ग

32. बोर्ड के नियामक अधिकार क्षेत्र में संभावित उल्लंघन की भविष्यवाणी करने और निवारक उपाय करने की पूर्व शक्तियां भी शामिल हैं। पूर्ववर्ती अधिकारिता के प्रयोग के लिए एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11 (2) (आई), 11 (2) (आई. ए.) और 11 (2) (आई. बी.) में दी गई जानकारी को प्राप्त करना आवश्यक है। जहां बोर्ड के पास यह मानने का उचित आधार है कि प्रतिभूति बाजार में कोई लेन-देन हितधारकों के हितों के लिए हानिकारक तरीके से होने जा रहा है या किसी मध्यस्थ ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो वह एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11 (सी) के तहत मामले की जांच कर सकता है। दूसरे शब्दों में, वास्तविक समय सुरक्षा बाजार नियामक होने के नाते, बोर्ड को उल्लंघन होने से पहले निगरानी रखने, भविष्यवाणी करने और यहां तक कि कार्रवाई करने का अधिकार है। इसी संदर्भ में, एस. ई. बी. आई. (एस. ए. एस. टी.) विनियमों और एस. ई. बी. आई. (पी. आई. टी.) विनियमों, जिनसे हम इस मामले में संबंधित हैं, को समझना होगा।

डी.

ई.

च

33. एस. ई. बी. आई. (पी. आई. टी.) विनियमन अंदरूनी व्यापार से संबंधित मामलों पर लेनदेन, संचार आदि को प्रतिबंधित करता है। भले ही निषेध के उल्लंघन के बारे में कोई संदेह हो, बोर्ड के पास जांच (विनियमन 4 ए) करने और जांच (विनियमन 5) की आवश्यकता के बारे में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर पहुंचने की शक्ति है। उक्त विनियमों के अध्याय III में जांच प्रक्रिया में पूरी प्रक्रिया का पालन करने का प्रावधान है। इसमें शामिल हैं- अंदरूनी सूत्र को दिए जाने वाले प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय (विनियमन 6), जांच प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना (विनियमन 8), अंदरूनी सूत्र को निष्कर्षों का संचार (विनियमन 9), और बोर्ड द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्देश (विनियमन 6)।

जी.

एच.

550

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

11). बोर्ड ने अपनी पूर्व शक्तियों के प्रभावी प्रयोग के लिए उक्त विनियमों के अध्याय IV में प्रकटीकरण पर नीति प्रदान की है। विनियमन 13 के तहत, किसी कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर या मतदान अधिकार रखने वाला कोई भी व्यक्ति, चार कार्य दिवसों के भीतर कंपनी को शेयरों की संख्या या ऐसे व्यक्ति द्वारा रखे गए मतदान अधिकारों की सीमा का खुलासा करेगा। विनियम 13 प्रकटीकरण का निरंतर दायित्व रखता है। विनियम 14 में प्रावधान है कि उक्त विनियमों का उल्लंघन करने वाला

कोई भी व्यक्ति एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11, 11 बी, 11 डी, 24 और अध्याय 6-ए के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

34. उपर्युक्त विनियामक व्यवस्था सर्वव्यापी है। यह निषेध निर्धारित करता है, जो मानक है। विनियमन में उल्लंघन का पता लगाने की विधि, जांच के तरीके, जांच प्राधिकरण की नियुक्ति का तरीका, वह समय सीमा जिसके भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है, एक अंदरूनी सूत्र के लिए रिपोर्ट का जवाब देने का अवसर के साथ-साथ एस. ई. बी. आई. द्वारा लिया जाने वाला अंतिम निर्णय और अंत में, परिणामी आदेश और पुनर्स्थापनात्मक निर्देश जो बोर्ड पारित करने का हकदार है, का भी प्रावधान है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रतिभूति बाजार पर पूर्ण और व्यापक नियंत्रण रखने के लिए आंतरिक व्यापार के कार्य को सुधारने के लिए आवश्यक निर्देश पारित करने के लिए विनियमन 11 के तहत एस. ई. बी. आई. के पास शक्ति है।

ग

डी.

ई.

35. अंदरूनी व्यापार के संबंध में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने में एस. ई. बी. आई. की व्यापक भूमिका पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि 1956 के अधिनियम की धारा 111 ए के तहत केवल सुधार के लिए कहने से नियामक की महत्वपूर्ण भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इस तरह का दृष्टिकोण अस्वीकार्य है। कथित रूप से एस. ई. बी. आई. (पी. आई. टी.) विनियमों का उल्लंघन करने वाले लेनदेन की जांच और जांच को उसमें प्रदान किए गए विनियमों और उपचारों के माध्यम से संसाधित करना होगा।

च

36. जब संवैधानिक न्यायालयों से इन नियामक निकायों की शक्तियों और क्षेत्राधिकारों के प्रयोग को प्रभावित करने वाले प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है, तो यह सुनिश्चित करना ऐसे न्यायालयों का कर्तव्य है कि नियामकों के प्रांत के भीतर आने वाले लेनदेन आवश्यक रूप से उनकी जांच और विनियमन के अधीन हों। यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं की रक्षा करने के कर्तव्य के साथ जिम्मेदार नियामक निकाय का इस क्षेत्र पर वास्तविक समय नियंत्रण है, इस प्रकार, उनके संविधान के उद्देश्य को साकार करता है।

जी.

एच.

551

आई. एफ. बी. एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम एस. आई. सी. जी. आई. एल. इंडिया लिमिटेड. और अन्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

क.

37. SEBI (SAST) विनियमों के संबंध में स्थिति SEBI (PIT) विनियमों के समान है। अध्याय III का विनियम 7 किसी कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अधिग्रहणकर्ता को कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज को इसका खुलासा करने के लिए बाध्य करता है। यह निषेध है, और गैर-प्रकटीकरण दंडात्मक है। अध्याय 5 बोर्ड द्वारा जाँच और कार्रवाई से संबंधित है, जिसमें एक जाँच अधिकारी नियुक्त करने के लिए बोर्ड की शक्ति (विनियमन 38), अधिग्रहणकर्ता को कारण बताएँ नोटिस जारी करना (विनियमन 39), जल्द से जल्द एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जांच प्राधिकरण का दायित्व (विनियमन 41), अधिग्रहणकर्ता को रिपोर्ट प्रदान करने का कर्तव्य और दंडात्मक आदेश पारित करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना (विनियमन 42) और अंत में, अध्याय 6-ए और एस. ई. बी. आई. अधिनियम (विनियमन 44) की धारा 24 के तहत कार्रवाई/निर्देश पारित करने के लिए बोर्ड की शक्तियाँ शामिल हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विनियमन 45 में उक्त विनियमों का पालन न करने के लिए दंड का प्रावधान है। देयता विनियमों और एस. ई. बी. आई. अधिनियम के संदर्भ में होगी। यहाँ फिर से, एस. ई. बी. आई. (एस. ए. एस. टी.) विनियमन एक व्यापक योजना है जो जांच, जांच, जांच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने, अधिग्रहणकर्ता के पक्ष में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और अंत में, बोर्ड द्वारा पारित किए जाने वाले प्रतिस्थापन आदेश/निर्देशों का

प्रावधान करती है। इस पूरी प्रक्रिया को 1956 के अधिनियम की धारा 111 ए के तहत इस आधार पर आवेदन करके शॉर्ट-सर्किट नहीं किया जा सकता है कि एस. ई. बी. आई. और सी. एल. बी./ट्रिब्यूनल के साथ समानांतर अधिकार क्षेत्र मौजूद है। शिकायत किए गए लेन-देन की नियामक द्वारा जांच की जानी चाहिए, और यह केवल नियामक के लिए है कि वह एस. ई. बी. आई. अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन का निर्धारण करे।

ग

डी.

ई.

38. एक अलग दृष्टिकोण से मामले पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि अपीलार्थी अधिनियम की धारा 111 ए के तहत सी. एल. बी. के अधिकार क्षेत्र को लागू करने में एस. ई. बी. आई. नियमों के उल्लंघन के लिए उचित नहीं है। हमारी यह भी राय है कि न्यायाधिकरण ने 1956 के अधिनियम की धारा 111 ए के तहत दायर कंपनी की याचिका पर विचार करने और उसे स्वीकार करने में त्रुटि की है। यद्यपि हम विवादित आदेश में अपीलार्थी न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए तर्क से सहमत नहीं हैं, हम इसके निष्कर्ष से सहमत हैं कि न्यायाधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है और इसलिए, अपीलार्थी न्यायाधिकरण दिनांकित 05.07.2017 के फैसले को रद्द करने में सही था।

च

जी.

एच.

552

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

39. ऊपर बताए गए कारणों से, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलार्थी न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के 2017 के कंपनी अपील (एटी) संख्या 240 में दिनांकित 06.12.2018 के फैसले से उत्पन्न 2019 की सिविल अपील संख्या 2030 खारिज हो जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन

याचिका खारिज की जाती है।

(सहायक: शाश्वत जैन, एलसीआरए)

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

